

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय-दूरभाष (07856) 252228, फ़ैक्स-252305 निवास -(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/क.त.अ./2718

दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 /04/2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय:- धुरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।
पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Whater/34532/2018

संदर्भ:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू- प्रबंध/वि.वि.
/115-30/2757 दिनांक 10.11.2016.
2. सहायक अभियंता, लो. स्वा. यां. परि. उपखण्ड - 4 जगदलपुर का पत्र क्रमांक/07 जगदलपुर
दिनांक 07.02.2019

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, दन्तेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत धुरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु रकबा 0.679 हैं. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन के द्वारा पंजीयन आबंटन किया गया है।

आवेदक संस्थान सहायक अभियंता लो.स्वा. यां. परियोजना उपखण्ड क्रमांक - 4, जगदलपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत धुरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु निर्धारित चेक लिस्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	रकबा (है. में)	लंबाई (कि.मी.)
1	दन्तेवाड़ा	0.679	25.40 कि.मी.
	योग :-	0.679	25.40 कि.मी.

1. आवेदनकर्ता धुरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक - 1373, 1401, 1402 रकबा 0.089हैं. एवं संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक - 1723, 1722, 1582, 1731, 1763, 1762, 1765, 1383, 1381, 1375, 1378 रकबा - 0.355 हे.एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 0.235 हैं. कुल रकबा 0.679 हे. क्षेत्र में वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आस-पास के न्यूनतम 10 कि.मी. तक का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र में संलग्न है।

2. प्रस्तावित व्यपवर्तित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे उपरान्त जिओ को-ऑर्डिनेट KML Shape file संलग्न है।

3. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/- कुल राशि रुपये 24000/- जमा किया गया है, जिसे पी.डी. खाते में जमा किया गया है।
4. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित एस.डी.एल.सी. का कार्यवाही विवरण संलग्न है।
5. प्रकरण 5.00 हैं, से कम होने के फलस्वरूप वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 18015/54/2010-NM-IV दिनांक 10.04.2013 की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के समानान्तर लाईन निर्माण में किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।
7. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
8. प्रस्तावित गैर वानिकी प्रकरण हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. प्रकरण में आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।
10. प्रकरण में दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक - 1373, 1401, 1402 रकबा 0.089 हैं, एवं संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक - 1723, 1722, 1582, 1731, 1763, 1762, 1765, 1383, 1381, 1375, 1378 रकबा - 0.355 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 0.235 हैं, कुल रकबा 0.679 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का फार्म 'ए' व फार्म 'बी' पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साईट पर अपलोड कर प्रमाण पत्र संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अनुरोध है।

संलग्न :- प्रस्ताव 04 सेट में।

वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा, दिनांक 25/02/2019
04

पृ.क्रमांक/क.त.अ./ 2719

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा